

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 65] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 19, 1973/माघ 30, 1894

No. 65] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19, 1973/MAGHA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February 1973

S.O. 101(E).—In pursuance of the provisions contained in sub-section (1) of Section 13AA of the Representation of the People Act, 1950 and in supersession of the Commission's (Notification No. 508/60(BR), dated 22nd December, 1966, the Election Commission in consultation with the Government of Bihar hereby designates the District Magistrate of each of the districts of East Champaran, Saran, Muzaffarpur, Darbhanga, Saharsa, Purnea, Bhagalpur, Monghyr, Patna, Bhojpur, Gaya, Begusarai, Vaishali, West Champaran, Nalanda, Rohtas, Samastipur, Madhubani, Siwan, Sitamarhi, Nawada and Aurangabad and the Deputy Commissioner of each of the districts of Hazaribagh, Santhal Parganas, Dhanbad, Singhbhum, Ranchi, Palamau and Giridih, as District Election Officer of the District of which he is the District Magistrate or the Deputy Commissioner as the case may be.

[No. 508/73(BR).]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1973

एस० आ० 101 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 कक की उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में तथा आयोग की अधिसूचना सं० 508/66 (बिहार), तारीख 22 दिसम्बर, 1966 को अधिष्ठांत करत हुए, निर्वाचन आयोग, बिहार सरकार के परामर्श से, पूर्व चम्पारन, सारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, पुर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, पट्टना, भोजपुर, गया, बेगूसराय, वैशाली, पश्चिम चम्पारन, नालन्दा रोहतास, समस्तीपुर, मधुबनी, सिवान, सीतामढ़ी, नवादा और औरंगाबाद जिला में प्रत्येक के जिला मजिस्ट्रेट को, तथा हजारीबाग, संथालपरगना, धनबाद, सिंहभूम, रांची, पलामू और गिरिडीह जिलों में प्रत्येक के उपायुक्त को उस जिले के लिए, जिसका वह, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त है, जिला निर्वाचन आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदामिहित करता है।

[सं० 508/73 (बिहार)]

अ.देश से,

वी० नागमुञ्जुनयन, सचिव।